दो टूक

सुभाष कश्यप
राजनीति
edit@amarujala.com

मांग और मुश्किलें

प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष निर्वाचन में व्यावहारिक अड़चनें हैं

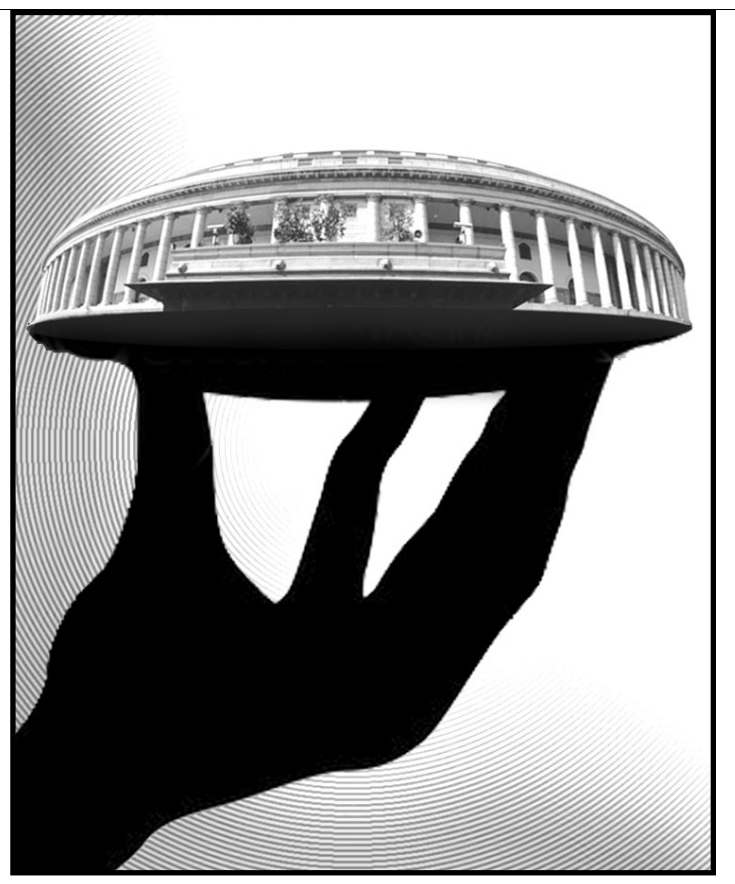

भ्रष्टाचार और काले धन के मामले में अनशन पर बैठे बाबा रामदेव ने यों तो सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं, लेकिन उन्होंने दो ऐसी मांगें रखी हैं, जिन पर व्यापक बहस की जरूरत है। बाबा रामदेव की एक मांग है कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होना चाहिए यानी अध्यक्षीय प्रणाली लागू होनी चाहिए। उनकी दूसरी मांग है कि भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा दी जाए।

जहां तक अपने देश की बात है, हमने वेस्टमिंस्टर यानी संसदीय प्रणाली अपना रखी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने गहन विचार-विमर्श के बाद यह तय किया था कि जिसका सदन में बहुमत हो, उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री का सदन में बहुमत होना जरूरी होता है। जहां तक प्रधानमंत्री के अध्यक्षीय प्रणाली के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात है, तो इसके लिए संविधान में व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत होगी। इसके लिए कई तरह के संशोधन अपरिहार्य होंगे और राष्ट्रपति की तरह ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा। ऐसे में राष्ट्रपति के पद का क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। यह शीशे की तरह साफ है कि बाबा रामदेव की यह मांग पूरी तरह अव्यावहारिक है। इस विषय को उन्हें कानून के छात्रों के लिए छोड़ देना चाहिए।

यदि बाबा रामदेव की यह मांग प्रधानमंत्री पद के कथित अवमूल्यन से प्रेरित है, तो वैसी स्थिति में संविधान में संशोधन करने से भी क्या हल मिलेगा? संविधान आयोग ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था, मैं खुद भी उस विमर्श का हिस्सा था। मेरा मानना है कि पद की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा द्वारा होना चाहिए और उसके लिए संविधान में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो और उसे सदन में बहुमत से नेता चुना जाना चाहिए। इसी तरह प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव सदन द्वारा पारित होना चाहिए। इसका मतलब यह

भ्रष्टाचारियों को फांसी देने की बाबा रामदेव की मांग पर संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय बहस की जरूरत होगी।

कि उस अविश्वास प्रस्ताव में ही प्रधानमंत्री के वैकल्पिक उत्तराधिकारी का नाम भी सुझाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को तो आपने हटा दिया और फिर नए सिरे से प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो। जर्मनी में चांसलर का चुनाव इसी प्रावधान के तहत होता है, लेकिन वहां आज तक एक भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। इसका फायदा यह है कि प्रधानमंत्री पूरे पांच वर्षों तक कार्यकाल पूरा कर सकेंगे और उनके सामने 'गठबंधन की मजबूरी' जैसे हालात भी नहीं होंगे।

अपने संविधान में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सदन को संदेश भेज सकते हैं। इसी के तहत राष्ट्रपति सदन को संदेश भेजकर कह सकते हैं कि वह अपना नेता चुनकर उनको बताए, जिसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सके। वर्तमान व्यवस्था में भी प्रधानमंत्री सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अभी सरकार गठन के लिए राष्ट्रपति भवन में जो परेड होती है, उसमें सभी अपना-अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति बहुमत साबित कर सकने वाले संभावित नेता को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर सदन में प्रधानमंत्री को अपना बहुमत साबित करना होता है-ऐसी तमाम कवायदों से बचा जा सकता है और इसमें समय भी कम लगेगा। इससे ज्यादा बेहतर और सांविधानिक व्यवस्था यह होगी कि सदन ही अपना नेता चुनकर बता दे कि उसका नेता कौन है और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। संविधान आयोग, सरकारिया आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि बहुमत का निर्णय सदन के भीतर होना चाहिए, न कि उसके बाहर।

जहां तक बाबा रामदेव की दूसरी मांग, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने की बात है, तो इस पर एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। राष्ट्र ही बताएगा कि वह क्या चाहता है। जहां तक फांसी की सजा पर अंतरराष्ट्रीय चिंतन का सवाल है, इस संदर्भ में दोनों तरह की राय है। एक पक्ष फांसी की सजा देने के पक्ष में है, तो दूसरा पक्ष इसे खत्म करने की वकालत कर रहा है। इस पर दोनों पक्ष अपने-अपने ढंग से तर्क-वितर्क कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अपने यहां रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में ही फांसी की सजा दी जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामले में अगर सजा के प्रावधान को बढ़ाकर फांसी का भी प्रावधान रखना है, तो इसके लिए प्रीवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट में संशोधन करने की जरूरत होगी। ऐसा करने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में भी अगर कोई मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है, तो उसमें फांसी की सजा दी जा सकती है। अब यह अदालत ही तय करेगी कि भ्रष्टाचार का कौन-सा मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है और कौन नहीं। लेकिन प्रावधान होने का मतलब यह नहीं होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में जितने भी लोग शामिल हैं, उन सभी को फांसी की सजा ही दी जा सकेगी। यह भी अदालत ही तय करेगी कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति को फांसी की सजा होगी या उम्रकैद या पांच-सात वर्षों की कैद।

देश के सभी वर्ग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश है। सिर्फ भाजपा ही क्यों, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सभी दल हैं। भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई बिल आता है, तो कोई भी दल इसका समर्थन कर सकता है। जो समर्थन नहीं करेगा, वह खुद ही बेनकाब हो जाएगा।

लेखक संविधान विशेषज्ञ हैं।

कोस्का की राह पर

रजनीश

बीच बहस में

देश भर के वन क्षेत्रों में स्वशासन और वर्चस्व के सवाल पर वनवासियों और वन विभाग के बीच छिड़ी जंग के बीच उड़ीसा के जंगल में एक ऐसा गांव भी है, जिसने अपने हजारों हेक्टेयर जंगल को आबाद कर न सिर्फ पर्यावरण और आजीविका को नई जिंदगी दी है, बल्कि वन विभाग और तकनीकी वन वैज्ञानिकों को चुनौती देकर एक नजीर भी पेश की है।

उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर दूर नयागढ़ में बसा यह गांव कोस्का अपने जंगल का खुद मालिक है। इस गांव के लोग खुद ही जंगल की सुरक्षा करते हैं और जंगल से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज का बंटवारा भी। बीती सदी के साठ के दशक तक वन विभाग और लालची तत्वों ने यहां के जंगल को पूरी तरह बरबाद कर दिया था। यहां पीढ़ियों से बसे कंध आदिवासी, दलित समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का जंगल और पानी के बिना जीना मुहाल हो गया था। तब वन क्षेत्र के मुखिया ने अपने लोगों के साथ मिलकर जंगल को आबाद करने के साथ उसकी सुरक्षा का भी बीड़ा उठाया। इस काम में आसपास के गांवों का भी सहयोग लिया गया। जंगल लगाने और इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक व्यवस्था कायम की, जिसे ठेंगापाली नाम दिया। ठेंगापाली एक ऐसी सर्पाकार लाठी है, जो आज जंगल की सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए यह लाठी बारी-बारी से घरों की दहलीज पर रख दी जाती है।

वर्ष 1970 में करीब एक हजार हेक्टेयर वनक्षेत्र में यह शुरुआत की गई। कुछ ही वर्षों में जंगल फिर से आबाद होने लगा। इसके बाद समिति द्वारा तय कायदे के मुताबिक, वर्ष में तीन बार जरूरत के हिसाब से गांव के सभी परिवारों को बांस, हल बनाने और जलावन के लिए लकड़ी तथा महुआ जैसी लघु वनोपज उपलब्ध कराई जाती रही। इसके बावजूद बिना जरूरत के लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा रहा।

मगर कोस्का व हाथीमुंडा जैसे इक्का-दुक्का गांव ही इस व्यवस्था के तहत हैं। आसपास के गांवों की जरूरत भी इसी वन क्षेत्र से पूरी होती है, हालांकि उसके एवज में उनसे शुल्क लिया जाता है, जो जंगल सुरक्षा समिति के कोष में जमा हो जाता है। दरअसल पास के गांवों से यहां पैदा होनेवाले महुआ के फूलों की ज्यादा मांग आती है, जिससे वे खाद्य तेल निकालते हैं। कायदा तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें नगद रुपये से लेकर गांव निकाला तक शामिल है, हालांकि किसी भी तरह का शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया जाता। पूर्व में बसे 51 परिवारों की संख्या अब बढ़कर करीब 80 हो गई है।

वनाधिकार कानून लागू होने के बाद कोस्का में भी इसकी पहल की गई। लेकिन कोस्का के लोगों ने सरकारी तरीके से कानून लागू करने की प्रक्रिया को ठेंगा दिखा दिया। इस पर स्थानीय वन विभाग और प्रशासन इन्हें 75 वर्षों के निवास प्रमाण की अनिवार्यता के मकड़जाल में फंसाकर इनके अधिकारों की राह में रोड़े अटकाने लगा।

यह बात तो बिलकुल साफ है कि कोस्का में वनाधिकार कानून लागू करने के लिए सरकार को ही यहां के ग्रामीणों से प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि कोस्का यह संदेश दे रहा है कि अगर वनाधिकार कानून को वास्तविक रूप में लागू कराना है, तो पहल वनवासियों को ही करनी होगी। लेकिन वन विभाग इसे नहीं मानता। उसे शायद यह भी पता नहीं कि कोस्का की वन व्यवस्था को राज्य सरकार पुरस्कृत कर चुकी है और फॉरेस्टरी की पाठ्य-पुस्तकों में ठेंगापाली वनरक्षा पद्धति के बारे में पढ़ाया जा रहा है। विदेशों में भी इस प्रणाली को एक सीख के रूप में लेते हुए अपनाया गया है।

पूरे देश में वनाधिकार कानून दरअसल वहीं पर लागू हो पा रहा है, जहां स्थानीय लोग पहल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में वन समुदायों द्वारा महिलाओं की अगुवाई में अपनी छिनी हुई करीब 20,000 एकड़ जमीन पर कानून आने से पहले ही दोबारा दखल को भी एक ऐसी ही मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। अगर केंद्र व राज्य सरकारें वास्तव में वनवासियों के साथ हुए अन्यायों के प्रायश्चित के रूप में वनाधिकार कानून को देश भर के वन क्षेत्रों में लागू करना चाहती हैं, तो उन्हें उड़ीसा के इस छोटे से गांव से बड़ी सीख लेनी होगी।

संन्यासिन की घर वापसी

भाजपा नेतृत्व ने उमा भारती को पार्टी में वापस लेकर तमाम अटकलों को तो विराम दिया ही है, उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान थमाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। करीब छह साल पहले जब यह फायरब्रांड संन्यासिन भाजपा से निष्कासित हुई थी, तब पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी; केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद उसमें अंदरूनी खींचतान काफी बढ़ गई थी। आज भाजपा बेशक आंतरिक बदहाली की उस स्थिति में नहीं है, बल्कि इस बीच दक्षिण के राज्य कर्नाटक में कमल खिल चुका है, लेकिन कुल मिलाकर केंद्रीय राजनीति में वह पहले की तुलना में निष्प्रभ ही ज्यादा है। उमा भारती को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के पीछे सरसरी तौर पर मायावती का मुकाबला करने की प्रतीकात्मक रणनीति दिखाई देती है : मध्य प्रदेश की यह पूर्व मुख्यमंत्री पिछड़ी लोध जाति की हैं, और कल्याण सिंह के बाहर होने के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी के पास पिछड़ी जाति का दमदार नेता नहीं है। उमा भारती व्यापक जनाधार वाली नेता हैं; उत्तर प्रदेश में लोध समीकरण के अलावा पिछले काफी समय से चलाए जा रहे गंगा अभियान के कारण भी प्रदेश में इस संन्यासिन की स्वीकार्यता असंदिग्ध है। संयोग से स्वामी रामदेव के आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति को एक ऐसा मोड़ दे दिया है, जिसमें अचानक धर्म की राजनीति के लिए पर्याप्त संभावना बन गई है। भाजपा को लग रहा है कि उमा भारती उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में इस संभावना का बेहतर दोहन कर सकती हैं। इसके बावजूद उनके राजनीतिक भविष्य का रास्ता ज्यादातर उबड़-खाबड़ ही दिखाई देता है। अव्वल तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अभियान भाजपा के लिए उतना आसान नहीं है, बसपा और कांग्रेस के सक्रिय हो जाने के बाद तो और नहीं। हां, यह उम्मीद जरूर की जा सकती है कि अब कल्याण सिंह भाजपा के पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाने में पहले जितने सफल शायद न हो पाएं। लेकिन विनय कटियार ने उमा भारती को राज्य की चुनावी कमान सौंपने पर जैसी प्रतिक्रिया जताई है, उससे लगता है कि संन्यासिन के लिए सब कुछ सामान्य नहीं होगा। केंद्रीय राजनीति में भी उनके लिए यही स्थिति है। निष्कासित होते समय वह पार्टी की दूसरी पंक्ति की नेता थीं। आज दूसरी पंक्ति के नेता ही पहली पंक्ति के बन गए हैं, ऐसे में उनके लिए अपनी पहली जैसी स्थिति और हैसियत बनाए रखना धैर्य की मांग करता है। लेकिन अगर भाजपा फिर कांग्रेस का मजबूत विकल्प बनना चाहती है, जो यूपीए के भ्रष्टाचार को देखते हुए जरूरी है, तो उसे उमा भारती की वापसी को एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर लेना ही होगा।

उम्मीद करनी चाहिए कि उमा भारती की वापसी भारतीय जनता पार्टी में नई जान फूंकने का अवसर बनेगी।

edit@amarujala.com

इनसानियत का धर्म

अंतर्यात्रा

पुराणों में कहा गया है कि भाई या पड़ोसी के भूखे होने पर जो स्वयं भरपेट भोजन करता है, वह एक तरह से पाप करता है। कवि संत शेख सादी एक बार दमिश्क में रह रहे थे। अचानक वहां भीषण अकाल पड़ा। अनाज और फल-सब्जियों का अभाव हो गया। भूख मिटाने के लिए लोग टिड्डियां तक खाने को मजबूर हो गए।

शेख सादी ने अपने संस्मरण में लिखा, 'एक दिन मेरा पुराना मित्र मुझसे मिलने आया। वह दमिश्क के प्रमुख धनिकों में गिना जाता था। उसके पास आलीशान हवेलियां थीं और पचासों नौकर सेवा में रहा करते थे। जब मैं उससे मिला, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसका शरीर जीर्ण-शीर्ण और हड्डियों का ढांचा था। मैंने पूछा, 'तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई?' वह बोला, 'आपको मालूम नहीं कि यहां भयंकर अकाल पड़ा है।' मैंने उससे कहा, 'इस अकाल का भला तुम पर क्या असर पड़ने वाला है! तुम्हारे पास तो धन की कोई कमी नहीं है।'

वह बोला, 'आपका कहना सच है, मगर इनसान वही है, जिसका हृदय दूसरों के दुख को अपना समझकर दुखी हो। जब मैं पड़ोसियों या आम लोगों को भूख से तड़पता देखता हूं, तो मेरे मुंह में खाने का एक निवाला भी नहीं उतरता। इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद बेचकर धन को गरीबों और फकीरों में बांट दिया। भले ही मेरा शरीर जर्जर हो जाए, पर मुझे खुशी होगी कि मैं किसी के काम आया। *कुरान* में भी कहा गया है कि जिसका भाई या पड़ोसी भूखा है और वह भरपेट भोजन करता है, तो वह इनसान नहीं, हैवान है।' शेख सादी ने उन्हें गले से लगा लिया।

शिवकुमार गोयल

आज का बयान

मुझे कोई शक नहीं है कि मेरे पिता सुषमा स्वराज से बेहतर डांसर हैं। खुशी है कि डांस को अब विरोध प्रदर्शनों के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है।

- उमर अब्दुल्ला

बाकी ने कहा

बेशक बाबा रामदेव ने कम समय में योग के जरिये लाखों भक्तों को खुद से जोड़ा है, पर भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ उनके आंदोलन पर राष्ट्रवादी रंग दिख रहा है, जो उनकी मुहिम को कमजोर कर सकता है।

- काठमांडू पोस्ट, नेपाल

खुली खिड़की

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रिड) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम की महत्वाकांक्षी परिकल्पना है। 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद नेटग्रिड स्थापित करने का विचार आया था।

नेटग्रिड के तहत विभिन्न सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा रखी जा रही इक्कीस श्रेणियों के डाटाबेस को जोड़ने की योजना है, ताकि देश की सुरक्षा एजेंसियों तक उसकी पहुंच हो सके। इस परियोजना के अस्तित्व में आ जाने के बाद सुरक्षा एवं कानून लागू करने वाली एजेंसियों को रेलवे एवं हवाई यात्रा, आयकर, बैंक खातों की जानकारी, क्रेडिट कार्ड लेन-देन और वीजा एवं आव्रजन जैसी विभिन्न 21 श्रेणी की बहुमूल्य सूचनाओं के आदान-प्रदान में मदद मिल सकेगी और आतंकवाद से निपटने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, विशिष्ट पहचान पत्र में किसी व्यक्ति के बारे में जितनी भी जानकारियां होंगी, उन्हें एक ही डाटाबेस में डाल दिया जाएगा, जिनका इस्तेमाल ये सुरक्षा एजेंसियां एक ही बटन दबाकर कर सकती हैं। जिन सुरक्षा एजेंसियों के बीच इन आंकड़ों का आदान-प्रदान होगा, उसमें खुफिया ब्यूरो, रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग (रॉ), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राजस्व खुफिया महानिदेशालय, केंद्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आबकारी नियंत्रण ब्यूरो आदि प्रमुख हैं। हालांकि व्यक्ति की निजता के उल्लंघन को लेकर ऐसे डाटाबेस बनाए जाने को लेकर इसकी आलोचना भी हुई है। इस समय नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघु रमन हैं।

अमेरिका में 9/11 के बाद ऐसे डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके लिए वहां नागरिक स्वतंत्रता की अड़चन को देखते हुए एक कानून भी पारित किया गया था। आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस सुनियोजित उपयोग का उसे लाभ मिला और वहां फिर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ।

पत्र

मानवता बरकरार रखें

सरकारी अस्पतालों में कमजोर होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते शहरों से लेकर कस्बों तक में प्राइवेट अस्पताल तेजी से खुल रहे हैं। इन अस्पतालों और नर्सिंग होम में डाक्टर मरीजों से बेहिसाब रुपया लूटते हैं। डाक्टरों को चाहिए कि वह अपने पेशे में मानवता को बरकरार रखें।

- फकीले लाल भोजवाल, शाहजहांपुर।

भ्रष्टाचार को रोकें

सरकारी विभागों के कई कर्मचारी घूस लेने के तमाम तर्क देते हैं। यह लोग रिश्वत लेना अपनी मजबूरी बताते हैं। इनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई में जो वेतन मिलता है वह पर्याप्त नहीं है। लोगों को चाहिए कि वह रिश्वतखोरों का विरोध करें और इनकी शिकायत करें। इससे बढ़ते भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।

- राजीव प्रकाश शर्मा, गोला गोकर्णनाथ, खीरी।

इबारत

सरकारें अपनी प्रजा को निहत्था कर अपने हाथ में बंदूकें और तलवारें रखती हैं।

- यशपाल

ठगे जाने का अनुभव

तमाशा

मैं मेन मार्केट गया था। वहां कमाऊलाल से मुलाकात हो गई। मुझे देखकर वह बोला, पंडित जी, आप तो संस्कृत के शिक्षक हो। मुझे यह बताओ कि *सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः* का क्या अर्थ होता है? मैंने कहा, कमाऊलाल, इसका सीधा-सा मतलब है कि सभी लोग सुखी और रोगमुक्त रहें।

अपने फेस पर पश्चाताप का मॉइश्चराइजर मलता हुआ कमाऊलाल बोला, पंडित जी, यह बाबा आदम के जमाने का अनुवाद तो मैं भी जानता हूं। आपसे पहले जब वह मिला था, तो उसने भी मुझे यही अर्थ बताया था। पर अब तो सारे 'अर्थ' का अनर्थ हो गया है। मैंने पूछा, वह कौन? इस पर कमाऊलाल बोला, वही अपना इंवेस्टरी प्रसाद, और कौन? फंसा दिया पट्ठे ने। लुटिया बराबर जमा-पूंजी थी अपने पास। लेकिन लालच के कुएं में वह लुटिया ही डूब गई। आज मैं ठन-ठन गोपाल बना घूम रहा हूं।

कमाऊलाल बोला, शेयर के खेल में लुटने से पहले एक चिटफंड कंपनी भी मुझे चूना लगा चुकी है।

उत्सुकता की चकरघिन्नी नचाता हुआ मैं बोला, तुम्हारा यह पूरा मामला मेरी समझ में आया नहीं। इस पर कमाऊलाल ने अपनी सहज लोभवृत्ति के गाल पर कोपदृष्टि का तमाचा जड़ते हुए जो कुछ बताया, उसका आशय यह था कि इंवेस्टरी प्रसाद नाम का बंदा दो सप्ताह पहले कमाऊलाल के यहां आया था। उसने कमाऊलाल की चाय पी, पान- मसाला खाया और फिर जाते-जाते उसको ही तगड़ा चूना लगा गया।

इंवेस्टरी प्रसाद ने उसे समझाया था, कमाऊ, तुम्हारे पास कंप्यूटर तो होगा ही, तो तुम एक काम करो। इन दिनों 'लूटो जनता' नाम की कंपनी की एक फन्ने खां स्कीम चल रही है। एक लगाओ, चार देती है। मैंने भी उसकी मेंबरशिप ले रखी है। तुम भी ले लो। हर हफ्ते मार्केट सर्वे के सिर्फ दो ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। इसमें फी फॉर्म पांच सौ रुपये मिलेंगे। तीन महीनों में सारी जमा-पूंजी निकल आएगी। नो रिस्क, बस गेन ही गेन है।

मैं हंसता हुआ बोला, समझ गया मेरे यार। गोया लूटो जनता कंपनी के चक्कर में तुम भी गुड़ की मक्खी हो चुके हो। लगता है, ठगे जाने का यह पहला तजुर्बा है। कमाऊलाल ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, इस लाइन का या यों कहो, ऑनलाइन का तो यह पहला ही अनुभव है, पर इससे पहले शेयर के खेल में लुटना हुआ। एक चिटफंड कंपनी भी मेरे को चूना लगा चुकी है। बीसेक साल पहले कोई प्लांटेशन वाली स्कीम आई थी। उसमें भी गच्चा खा चुका हूं।

मैं बोला, *सर्वे भवंतु सुखिनः* का अर्थ अब तुम समझ ही गए होगे कि ऐसी कंपनियों के सर्वे कार्य में संलग्न होने वाले आरंभ में सुखी होते हैं, लेकिन अंततः 'निरा-मुआ' गति को ही प्राप्त होते हैं।

सूर्यकुमार पांडेय